न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/5 **दायरा दिनांक : 02.01.2023**

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
.... अपीलांट

बनाम

ज्ञानकंवर आयु 75 वर्ष पुत्री श्री अमर सिंह पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम आमली जागीर, तहसील अटरू हाल निवासी पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर (राज0) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश मीना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.04.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 103/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम आमली जागीर तहसील अटरू में वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2023 से 2026 में आराजी खसरा नं. 130 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुंए के पास की, खसरा नं. 145 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा माता जी की माफी, खसरा नं. 151 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा बडा पाडल्या, खसरा नं. 155 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा साठ्या, खसरा नं. 183 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा पीस्या, खसरा नं. 192 रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा सड़क के पास का तलाई वाला कुल किता 6 कुल रकबा 128 बीघा 3 बिस्वा दर्ज खाता स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2020 से वादिया का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2020 विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया कि वाके ग्राम आमली जागीर, तहसील अटरू में स्वामित्व व कब्जे काश्त आराजियात 2023–2026 की जमाबंदी में आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 128 बीघा 3 बिस्वा दर्ज थी। सैटलमेंट के समय नवीन खसरा नं. 130 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 259/337 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्र 161/336 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 175/413 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 172/345 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 179 रकबा 3.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 4.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 185/374 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 209 रकबा 3.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 4.03 हेक्टर बनाये है पुराना खसरा नम्बर 183 का रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा को विवादित आराजियात मानकर रेस्पोडेंट/वादिया ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, अटरू के यहां पेश किया है। पुराना खसरा नम्बर 183 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 209 रकबा 3.20 हेक्टर कायम किये थे जो पूर्व में भी सरकारी भूमि दर्ज थी। रेस्पोडेंट वादिया द्वारा उक्त खातेदारी की आराजियात की आड लेकर यह वाद पत्र पेश किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यों पर वाद निर्णीत करने में भारी भूल की है। रेस्पोडेंट वादिया द्वारा गलत तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया है, जबकि रेस्पोडेंट वादिया के खातेदारी की आराजियात को सैटलमेंट विभाग द्वारा खाते से बाहर निकाल दिया एवं सरकारी भूमि दर्ज कर दिया तो रेस्पोडेंट/वादिया को उक्त वाद धारा 136 एल. आर. एक्ट में पेश किया जाना चाहिए, परन्तु रेस्पोडेंट /वादिया द्वज्ञरा सरकारी भूमि को हडपने के लिये अपनी खातेदारी की आराजियात के साथ खसरा नम्बर 209 रकबा 3.20 हेक्टर को जो राजस्थान सरकार के नाम खाता दर्ज थी, का वाद गलत तथ्यों पर पेश किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर ना करते हुए वाद को रेस्पोडेंट/वादिया के पक्ष में निर्णीत कर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट/वादिया द्वारा हल्का पटवारी द्वारा एल.आर.एक्ट की कार्यवाही मौखिक कहने पर रेस्पोडेंट/वादिया द्वारा बेदखली करने की धमकी मानकर धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत गलत दावा पेश किया है जबकि रेस्पोडेंट/वादिया को तहसीलदार अटरू द्वारा ना तो 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का नोटिस जारी किया और ना ही बेदखली बाबत कोई कानूनी नोटिस दिये बिना ही राजस्थान सरकार के विरूद्ध गलत तथ्यों पर बेदखली का दावा पेश किया है

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जिसको भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर रेस्पोडेंट/वादिया के पक्ष में गलत निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू को जवाब व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एवं एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर उक्त वाद पत्र को डिक्री करने में कानूनी भूल की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट/वादिया की मिली भगत से उक्त वादपत्र को निर्णीत किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को इन्द्राज दुरूस्ती बाबत स्वतंत्र वाद लाना चाहिए था जबकि धारा 88, 89, 91, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सैटलमेंट द्वारा की गई गलती को कानूनन दुरूस्त करने का अधिकार न होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को निर्णीत करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2020 निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त निर्णय व डिक्री की पालना नही करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की हेरा–फेरी नहीं करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.11.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरकार को नहीं सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का निर्णय तनकीवार नहीं पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2020 निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि पूर्व में इस प्रकार के एक अन्य प्रकरण (अपील संख्या 2021/40 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2024) में निर्णय रेस्पोडेंट के पक्ष में हुआ है। वादग्रस्त आराजी एक ही खाते की आराजी है। वादग्रस्त आराजी को सैटलमेंट ने सिवायचक दर्ज की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिया द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम आमली जांगीर, तहसील अटरू जिला बारां की जमाबंदी संवत 2023–26 के अनुसार कुल किता 6 कुल रकबा 128 बीघा 9 बिस्वा आराजी वादिया के खाते दर्ज रेकार्ड थी। दावे की मद नं. 1 में वर्णित उक्त आराजी का बंदोबस्त करते समय सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा उक्त आराजी के नवीन खसरा नं. कायम किये गये जिसका मिलान क्षेत्रफल एक्जीविट पी–5 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है। वादिया का कथन है कि उक्त आराजी में पुराना खसरा नं. 183 का रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा बडा पीस्या वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही थी जिसका सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा बंदोबस्त करते समय नवीन खसरा नं. 209 का रकबा 3.20 हैक्टर बनाकर जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में राजस्थान सरकार के नाम खाता दर्ज कर दी जबकि उक्त राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज है, जिस पर वादिया ही काबिज काश्त करती चली आ रही है। अतः इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए राजस्व रिकार्ड में आराजी नवीन खसरा नं. 209 का रकबा 3.20 हेक्टर आराजी पर वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर आराजी प्रतिवादी के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में वादिया के नाम खाते दर्ज की जावे, यदि दौराने वाद

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादी उक्त आराजी पर कब्जा कर ले तो उसे बेदखल करके कब्जा वादिया को दिलाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात् प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी को तलवी के पश्चात् जवाब दावा पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू–1 के बयान दर्ज कर, वादिया द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड पर प्रदर्श अंकित करते हुए वादिया द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तत्पश्चात वादिया की एकपक्षीय बहस सुनकर वादिया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम आमली जागीर की खसरा नं. 209 रकबा 3.20 हैक्टर , भूमि के मालग्राम आमली जागीर में वादिया ज्ञानकंवर पुत्री अमरसिंह पत्नि नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत के खाते दर्ज करने का आदेश पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर प्रतिवादी अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि रेस्पोडेंट वादिया द्वारा गलत तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया है। पुराना खसरा नं. 183 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा जिसमें नये खसरा नं. 209 रकबा 3.20 हेक्टर कायम किये थे जो पूर्व में भी सरकारी भूमि दर्ज थी परंतु अपने इस कथन की पुष्टि हेतु अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रिकार्ड जैसे जमाबंदी आदि अपील के साथ या दौराने बहस प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेंट वादिया द्वारा उक्त खातेदारी की आराजियात की आड लेकर यह वाद पत्र पेश किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यों पर वाद निर्णित करने में भारी भूल की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार अन्य खसरा नं. के साथ ही विवादित खसरा नं. 183 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा वादिया के खाते दर्ज रिकार्ड थी। अपीलांट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू को जवाब व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एवं एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर उक्त वाद पत्र को डिक्री करने में कानूनी भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज किये जाने योग्य है परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय व अवसर प्रदान के बावजूद भी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा पेश नहीं किया। जवाब दावा पेश नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का केवल जवाब बंद किया गया, अपीलांट के विरूद्ध

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एकपक्षीय कार्यवाही करने के तथ्यों की पुष्टि भी आदेशिका के अवलोकन से नहीं होती है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा पेश नहीं किया गया। इसी प्रकार प्रस्तुत अपील में भी दौराने सुनवाई पर्याप्त समय व अवसर प्राप्त होने के बावजूद भी अपील में अंकित अपने कथनों को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

वादिया द्वारा अपने दावे को साबित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2019–22 एक्जीविट पी–2, नकल जमाबंदी सवंत 2039–42 एक्जीविट पी–3, फोटोप्रति नकल जमाबंदी संवत 2031–2034 के अनुसार विवादित खसरा नं. 183 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा वादिया ज्ञानकंवर बाई पु.वी. अमरसिंह कोम राजपूत के खाते दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी भू–प्रबन्ध विभाग 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 में खसरा नं. 209 रकबा 3.20 हेक्टर सिवायचक लगानी दर्ज है। प्रस्तुत फोटोप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग एक्जीविट पी–5 के अनुसार साबिक खसरा नं. 183 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा का हाल खसरा नं. 209 रकबा 3.20 हैक्टर बना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न उक्त राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी भू–प्रबन्ध विभाग 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यही स्पष्ट होता है कि विवादित खसरा नं. 183 की 19 बीघा 4 बिस्वा आराजी पूर्व में वादिया के खाते दर्ज थी, तत्पश्चात दौराने सेटलमेंट अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल भू–प्रबन्ध विभाग 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 के अनुसार खसरा नं. 209 रकबा 3.20 हैक्टर से सिवायचक दर्ज हुई। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में यह कथन किया है कि विवादित आरजी पूर्व में भी राज्य सरकार के खाते दर्ज थी परंतु अपने इस कथन की पुष्टि हेतु प्रस्तुत अपील के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित नहीं होता कि विवादित आराजी पूर्व में राज्य सरकार के खाते दर्ज रही हो।

वादिया के अधिवक्ता द्वारा आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो में नकल जवाब दावा पेरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, बयान बिशनलाल वर्मा तत्कालीन तहसीलदार अटरू बयान मेघराज नागर तत्कालीन हल्का पटवारी किशनपुरा, न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 04.09.2024 अपील संख्या 2021/40 उनवान सरकार बनाम ज्ञानकंवर प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तोवज के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादिया द्वारा समान प्रकृति का एक अन्य दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने पर उसकी अपील राज. सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत होने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 04.09.2024 से अपील अपीलांट खारिज की गई। इस प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.2018 में विवादित खसरा नं. 192 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा को वादिया ज्ञानंकवर के खाते की आराजी होना स्वीकार कर वादिया का वाद स्वीकार किया तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2018 से अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय को यथावत रखा है। वर्तमान अपीलाधीन निर्णय एवं पूर्व निर्णय अपील संख्या 2021/40 सरकार बनाम ज्ञानकंवर समान प्रकृति के है। एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं दस्तोवजों से प्रथम दृष्टया यही स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात सेटलमेंट पूर्व वादिया ज्ञानकंवर के खाते दर्ज रिकार्ड रहीं है एवं दौराने सेटलमेंट सिवायचक दर्ज की गई। सेटलमेंट से पूर्व विवादित आराजी खाता सरकार दर्ज रहीं है, इसे साबित करने के लिए अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दस्तोवजी साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2020 में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
.... **अपीलांट**

बनाम

ज्ञानकंवर आयु 75 वर्ष पुत्री श्री अमर सिंह पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम आमली जागीर, तहसील अटरू हाल निवासी पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर (राज0)

....

रेस्पोडेंट

अपील नं **2023/5** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अटरू**
मु.द.नं0 **103/2017** निर्णय व डिक्री दिनांक – **12.03.2020**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **26 माह 03** सन् **2025**

श्री **चन्द्र प्रकाश मीना** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **ओम प्रकाश मेहता** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.03.2020 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **16 माह 04 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)